



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना खेकडा

दिनांक 24.04.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,  
जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर  
बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनुज पुत्र बीरपाल सिंह निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत व जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सुखपाल सिंह थाना खेकडा ।
- 2- उ0नि0 यूटी दिग्विजय थाना खेकडा ।
- 3- का0 24 तरुण कुमार थाना खेकडा ।
- 4- का0 555 रवि कुमार थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 24.04.2024

**थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

घोलू पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री नरेशपाल सिंह थाना खेकडा
- 2-का0 1022 अजय कुमार थाना खेकडा
- 3-का0 607 कपिल कुमार थाना खेकडा



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना छपरौली

दिनांक- 24.04.2024

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 91/24 धारा 364 भादवि में वांछित  
01 अभियुक्ता सहित एक अन्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.04.24 को थाना छपरौली पर वादी श्री लखमी पुत्र कदमा नि0 ग्राम लूम थाना छपरौली जनपद बागपत ने अज्ञात अभियुक्तों द्वारा मेरे भाई के पोते उम्र 6 वर्ष का अपहरण कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना



छपरौली पर मु.अ.स. 91/24 धारा 364 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान अपहर्त बच्चे की फुटेज के आधार पर अभियुक्तगण 1. आमिल उर्फ भूरा पुत्र रहीस, 2. एक महिला निवासीगण वार्ड नं. 08 यूनिट स्कूल के पास मौहल्ला खेल कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली का नाम प्रकाश में आया।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु.अ.स. 91/24 धारा 364 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्ता व एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**नोट-** थाना छपरौली पुलिस द्वारा अपहर्त 6 वर्ष के बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. आमिल उर्फ भूरा पुत्र रहीस निवासी वार्ड नं. 08 यूनिट स्कूल के पास मौहल्ला खेल कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली ।
2. एक महिला ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2.उ0नि0यू.टी. रक्षा भारद्वाज थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3.है0का0 410 राजवीर सिंह छपरौली जनपद बागपत ।
- 4.का0 639 ऋषिपाल छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक- 24.04.2024

**थाना बडौत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



**गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-**

- 1-जितेन्द्र पुत्र किरणे निवासी ग्राम लौहड्डा थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-शशिकान्त पुत्र नरेश निवासी आकाशदीप कालोनी रुड़की रोड थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री नरेशचन्द त्यागी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का0 194 तरुण कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-का0 948 पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक- 24.04.2024

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 104/24 धारा 147/148/323/504/506/307 भादवि में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बल्लम के आगे का फल बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.04.2024 को थाना रमाला पर वादी राहुल पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बुढपुर थाना रमाला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अमित पुत्र बलजोर, 2.रामकुमार पुत्र बलजोर, 3.अंकुर पुत्र सहेन्द्र, 4.अंकित पुत्र हरबीर व 5.मोनू



पुत्र सतपाल निवासीगण बुढपुर थाना रमाला व अन्य अज्ञात द्वारा वादी व वादी के परिजनो पर लाठी डण्डो से जान से मारने की नियत से हमला किया गया । जिसके आधार पर मु0अ0स0 104/24 धारा 147/307 भादवि थाना रमाला पर पंजीकृत किया गया।

नोट- विवेचना में बयान वादी, बयान गवाहन व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर 148/323/504/506 भादवि की बढौत्तरी की गयी।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 104/24 धारा 147/148/323/504/506/307 भादवि में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बल्लम के आगे का फल बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1.अमित उर्फ नरेश पुत्र बलजोर निवासी बुढपुर थाना रमाला बागपत ।
2. रामकुमार पुत्र बलजोर निवासी बुढपुर थाना रमाला बागपत ।

3. अंकुर पुत्र सहेन्द्र निवासी बुढपुर थाना रमाला बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक बल्लम के आगे का फल ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राकेश शर्मा थाना रमाला जनपद बागपत ।
2. है0का0 361 मनवीर सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
3. है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
4. का0 907 धर्मेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।
5. का0 1076 विकास यादव थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक- 24.04.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 137/24 धारा 3/25 ए पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र सुदेश निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

### आपराधिक इतिहास अभि0 राहुल

- 1-मु0अ0सं0 137/24 धारा 3/25 भादवि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 366/16 धारा 3/25 भादवि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

- 3-मु0अ0स0 373/17 धारा 4/25 भादवि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0स0 94/19 धारा 3/25 भादवि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0स0 36/20 धारा 3/25 भादवि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0स0 77/23 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0स0 90/23 धारा 3/25 भादवि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0स0 136/20 धारा 379/411 भादवि0 थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 9-मु0अ0स0 137/20 धारा 379/411 भादवि0 थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 10-मु0अ0स0 141/20 धारा 3/25 भादवि0 थाना थाना बिनौली जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 546 विपिन सिरोही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-का0 1068 प्रवीण कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-का0 594 सरफराज खान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।